

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद-झाँसी।

सेवा में,

1. मुख्य विकास अधिकारी झाँसी।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी।
3. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), झाँसी।
4. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, म०ल०बा० मेडिकल कॉलेज, झाँसी।
5. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय झाँसी।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय झाँसी।
7. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला रेलवे चिकित्सालय झाँसी।
8. एस०एम०ओ० (एन०पी०एस०पी०) झाँसी।
9. जिला पंचायत राज अधिकारी झाँसी।
10. जिला विद्यालय निरीक्षक, झाँसी।
11. बेसिक शिक्षा अधिकारी, झाँसी।
12. जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई०सी०डी०एस०) झाँसी।
13. समस्त सी०डी०पी०ओ० (आई०सी०डी०एस०) झाँसी।
14. नगर शिक्षा अधिकारी झाँसी।
15. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, झाँसी।
16. उपनिदेशक सूचना झाँसी।
17. जिला कुष्ठ अधिकारी झाँसी।
18. जिला क्षय रोग अधिकारी झाँसी।
19. जिला मलेरिया अधिकारी झाँसी।
20. कमान्डेन्ट एस०एच०ओ० झाँसी।
21. नगर स्वास्थ्य अधिकारी झाँसी।
22. सहायक आयुक्त मनोरंजन कर झाँसी।
23. समस्त अपर/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी झाँसी
24. अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामु०स्वा०केन्द्र/प्राथ०स्वा० केन्द्र बबीना/बडागाँव/मोंठ/चिरगाँव/गुरसरॉय/बामौर/ मऊरानीपुर/बंगरा।
25. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पी०पी०सी० जिला महिला चिकित्सालय झाँसी।
26. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पी०पी०सी० मेडिकल कॉलेज झाँसी।
27. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी नग०प्रा०स्वा०केन्द्र इतवारीगंज झाँसी।
28. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी नग०प्रा०स्वा०केन्द्र झोकनबाग झाँसी।
29. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी नग०प्रा०स्वा०केन्द्र पुलिया नं० 9 झाँसी।
30. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी नग०प्रा०स्वा०केन्द्र तहसील झाँसी।
31. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी नग०प्रा०स्वा०केन्द्र राजघाट झाँसी।
32. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी नग०प्रा०स्वा०केन्द्र नगरा झाँसी।
33. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी नग०प्रा०स्वा०केन्द्र सीपरी बाजार झाँसी।
34. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी न०प्राथ०स्वा० केन्द्र ईमलीपुरा झाँसी।
35. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी न०प्राथ०स्वा० केन्द्र चौदरवाजा झाँसी।
36. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी न०प्राथ०स्वा० केन्द्र बडागाँव गेट झाँसी।
37. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी न०प्राथ०स्वा० केन्द्र सिद्धेश्वर नगर
38. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी न०प्राथ०स्वा० केन्द्र तालपुरा
39. जिला समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र झाँसी
40. विभागाध्यक्ष एस०पी०एम० मेडिकल कॉलेज झाँसी।
41. सम्पादक दैनिक जागरण झाँसी।
42. सम्पादक दैनिक अमर उजाला झाँसी।

43. जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, झाँसी।

44. समस्त ए0आर0ओ0, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झाँसी।

45. डी0पी0एम0/डी0सी0एम0 एन0आर0एच0एम0 झाँसी।

पत्रांक- सी0एम0ओ0/एन.टी.सी.पी./कोरोना/2019-20/

दिनांक-20.03.2020

विषय- प्रदेश में कोरोना वाइरस संक्रमण के बचाव हेतु समस्त सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों में पान-मसाला एवं तम्बाकू उपभोग को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2019-20/8365 लखनऊ दिनांक 18.03.2020 के क्रम में सूचित किया जाता है कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश-786/तीन-18-06(9)18 दिनांक 12 अक्टूबर 2018 द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर 2018 द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों, सरकारी प्रतिष्ठानों एवं स्थानीय कार्यालयों में तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जा चुका है तथा पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में तम्बाकू एवं पान मसाला के उपभोग को पूर्वतः प्रतिबन्धित करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

चूंकि प्रदेश में लगभग 29.4 प्रतिशत लोग धूम्रपान रहित तम्बाकू का विभिन्न रूप से सेवन करते हैं, जो कि वर्तमान में तम्बाकू एवं पान मसाला का सेवन कर इधन-उधर थूकने से कोरोना वायरस के फैलने में सहायक हो सकता है, एवं प्रधानमंत्री महोदय द्वारा बहुउद्देशीय स्वच्छ भारत मिशन व अन्य बीमारियों की रोकथाम हेतु भी तम्बाकू व पान मसाला का सेवन बड़ी बाधा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप उक्त स्थिति को देखते हुए तत्काल सी0ओ0टी0पी0एम0-2003 के नियमों/उपनियमों एवं सार्वजनिक स्थान पर तम्बाकू एवं पान-मसाला खाकर यंत्र-तत्र थूकने पर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

सधन्यवाद!

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय



मुख्य चिकित्सा अधिकारी
झाँसी।

दिनांक-20.03.2020

पत्रांक- सी0एम0ओ0/एन.टी.सी.पी./कोरोना/2019-20/ 12015
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण झाँसी मण्डल झाँसी।
4. जिलाधिकारी महोदय, झाँसी।
5. राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम उ0प्र0 लखनऊ।
6. सम्पादक समस्त दैनिक समाचार पत्र झाँसी को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे जन स्वास्थ्य के हित में उपरोक्त सूचना अपने सम्मानित समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
झाँसी।